न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पृथ्वीराज पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी वारका तहसील देसूरी जिला पाली		1. दरगा पुत्र वेनाजी जाति घांची निवासी जुना खेड़ा, नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली 2. तहसीलदार देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री विजयसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांकः–24.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर जिला कलक्टर पाली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पारित आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(7)संप/राज./18/1818 दिनांक 13.04.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में एच.पी.सी.एल. कम्पनी द्वारा न तो डीलरशिप जारी की है तथा न ही पैट्रोल पम्प हेतु कोई अनुज्ञा जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि को रमेश कुमार को अन्तरित कर दिया था, जिसके कारण विधिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत ही नहीं था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को रमेश कुमार को लीज पर देने के पश्चात उक्त भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था, जिसके कारण कब्जे के अभाव में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

के पक्ष में वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि थी। एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के विभिन्न प्रयोजनों हेतु संपरिवर्तन करवाने का अधिकार है। इन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपरिवर्तन हेतु विहित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर विभिन्न स्तरों से जांच करवा कर संपरिवर्तन योग्य पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश विधि विरूद्ध रूप से जारी हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस भूमि को संपरिवर्तन करवाने का निवेदन किया है, वह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है तथा उक्त बिन्दु पर पत्रावली विभिन्न स्तरों से परीक्षित होते हुए अन्तिम रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये संपरिवर्तित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवेदन तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त हुए है, उसमें उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि होना मानते हुए भूमि संपरिवर्तन किये जाने की अनुशंषा की गई है तथा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी होना, दस्तावेजी साक्ष्यों यथा राजस्व रेकर्ड से भी साबित है। राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत वो व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत होता है, जो खातेदार हो अथवा खातेदार द्वारा विधिमान्य दस्तावेजात् के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर खातेदार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जांच के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होती। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि संपरिवर्तन होने से पूर्व ही तथाकथित रमेश कुमार को जरिये लीज डीड के अन्तरित की जा चुकी थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली के संलग्न लीजडीड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि रमेश कुमार पुत्र दौलाराम जाति मेघवाल निवासी ढारिया को 30 वर्षीय लीज पर दी गई है तथा लीज डीड के पेज संख्या 4 के चरण संख्या 2 (लीजडीड का बिन्दु संख्या 6) में यह अंकित किया है कि कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यावही संबंधित सरकारी विभाग में उपस्थित होकर प्रथम पक्षकार (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के नाम से करवा सकेगा। इसके अतिरिक्त भी लीलडीड या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किसी प्रकार की संविदा करने मात्र से पक्षकार के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। इसके अतिरिक्त लीजडीड भी पेट्रोल पम्प हेतु निष्पादित की गई है तथा संपरिवर्तन भी वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सहित मूल अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पारित आदेश क्रमांक/एफ.12(3)(7)संप/राज./18/1818 दिनांक 13.04.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली